<u>II-156</u>

C.J.

		C.J.
	case No	
Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necess
18/2/2015	पुनरीक्षणकर्ता मनीषसिंह की ओर से श्री के०पी०राठौर एड० ने उपस्थित होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—397 एवं 401 द0प्र०सं० के तहत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० श्री एस०के० तिवारी द्वारा आपराधिक प्र०क०—71/15 इ०फौ० शासन पुलिस मालनपुर विरुद्ध सतेन्द्र आदि में दिनांक 18.02.15 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। साथ ही एक आवेदन पत्र आज ही अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अंतिम सुनवाई किये जाने हेतु भी पेश किया। जिसके समर्थन में राजू पुत्र जसराम का शपथ पत्र, उपस्थिति मेमो एवं सूची अनुसार विद्यालय का पत्र पेश किया है। श्री राठौर ने मौखिक निवेदन करते हुए व्यक्त किया कि रूपसिंह एवं पानसिंह के जमानत आवेदन पत्र की भी आज सुनवाई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आया है इसलिये आज ही सुनवाई कर ली जावे। पुनरीक्षण याचिका एवं शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति शासन के पक्ष समर्थन के लिये न्यायालय में उपस्थित ए ०जी०पी० श्री बघेल को प्रदान की गई। प्रकरण के पंजीयन हेतु पुनरीक्षण की प्रति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड की ओर भेजी जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आज ही लंच उपरान्त भेजे जाने हेतु पत्र भेजा जावे।	
	प्रकरण प्रांरिभक सुनवाई के लिये मूल अभिलेख सहित पुनः मध्यांतर उपरान्त पेश हो। (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड पुनश्च:— पुनरीक्षणकर्ता मनीषसिंह द्वारा श्री के०पी०राठौर एड०उप०। राज्य की ओर से ए०जी०पी० श्री बघेल उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय श्री एस०के० तिवारी जे०एम०एफ०सी० गोहद के न्यायालय का दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—71/15 शासन पुलिस मालनपुर बनाम सतेन्द्र आदि प्राप्त हुआ। शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र स्वीकार कर आज प्रारंभिक सुनवाई की गई। उभयपक्ष के तर्क सुने गये प्रकरण का अवलोकन कियागया। मूल पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्ता मनीषसिंह की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि पुलिस थाना मालनपुर के अप०क०—222/14 में वह न्यायिक निरोध में होकर जेल में निरूद्ध है।	

और कक्षा दसवीं का छात्र है। जिसकी प्रायौगिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 19.02.15 को समय 11.00 बजे परीक्षा न्यू मनीषा कॉन्वेन्ट उ०मा०वि० उमरी जिला भिण्ड में होनी है। जहाँ उसका पुलिस बल के साथ प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। किन्तू विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली और राज्य नियम के प्रतिकल आदेश करतेहुए उसके द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया है। वह प्रायोगिक परीक्षा में ले जाने व लाने में होने वाले खर्च को वहन करने के लिये तैयार है। इसलिये उसे प्रायोगिक परीक्षाा में सम्मिलित होने की अनुमित दी जावे। इसी अनसार पनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क भी किये हैं। और यह भी व्यक्त किया है कि प्रायोगिक परीक्षा के अंक मूल परीक्षा के अंकों में जोड़े जाते हैं तब परीक्षाफल तैयार होता है इसलिये यदि प्रायोगिक परीक्षा में पूनरीक्षणकर्ता को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता है तो उसका भविष्य खराब हो जावेगा। और वह अपने स्वयं के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जावेगा। तथा जैसे ही आवेदक को प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में जानकारी मिली वैसे ही उसने कार्यवाही की है। क्योंकि आवेदक पिछले तीन माह से निरोध में है।

ए०जी०पी० द्वारा आवेदन पत्र का इस आधार पर विरोध किया गया है कि कोई टाईम टेबल पेश नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया जिसके मुताबिक पुनरीक्षणकर्ता मनीष सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना मालनपुर की ओर से अप०क०-222/14 धारा–302, 307,323, 294, 147,148, 149 भादवि के तहत दिनांक 16. 02.15 को अभियुक्त को गिरफतार कर पेश किया जा चुका है। पुनरीक्षणकर्ता / आरोपी मनीष की ओर से प्रायोगिक परीक्षा में पुलिस बल सहित सम्मिलित करवाये जाने के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.15 को आवेदन पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने आज पारित आदेशानुसार इस आधार पर निरस्त किया है कि आरोपी की कोई वार्षिक परीक्षा नहीं है बल्कि प्रायोगिक परीक्षा बताई गई है। और उसका भी कोई टाईम टेबल अथवा स्कुल का कोई पहचान पत्र पेश नहीं किया गया है। और विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी सत्र न्यायालय से संबंधित किसी आरोपी को किसी परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के संबंध में आदेश दिया जा सके। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर न्यू मनीषा कॉन्वेन्ट उ०मा०वि० उमरी जिला भिण्ड का सुचनार्थ पत्र जिसका क्रमांक-014 / 13.02.15 को प्राचार्य द्वारा जारी किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि उक्त विद्यालय से मनीष पुत्र प्यारेलाल अनुक्रमांक-151355258 कक्षा-10वीं का नियमित छात्र था जिसकी प्रायौगिक परीक्षा संस्था में दिनांक 19.02.15 को दिन के 11.00 बजे करायी जावेगी जिसमें छात्र की उपस्थिति अनिवार्य है और छात्र के भविष्य को देखते हुए उक्त दिनांक को उपस्थित कराया जावे। उक्त प्रमाणपत्र को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कोई

टाईम टेबल या स्कूल का प्रहचान पत्र पेश नहीं है, त्रुटिपूर्णव है। निर्विवादित रूप से पुनरीक्षणकर्ता मनीष उक्त अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रस्तुत दस्तावेज से उसका कक्षा दसवीं का नियमित छात्र होना प्रकट होता है। तथा उसके द्वारा केवल उचित पुलिस अभिरक्षा में प्रायौगिक परीक्षा में सम्मिलत कराये जाने की प्रार्थना की गई है। संबंधित अपराध में गृण-दोषों पर ही लगाये गये आरोप का निराकरण होगा किन्त् सीमित आशय की चाही गई सहायता उसे विधि अनुसार प्राप्त करने की अधिकारिता होना पाया जाता है। ऐसीस्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होकर पुष्टि योग्य नहीं है अतः प्रारंभिक स्तर पर ही उसे अपास्त करते हए अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि वह आरोपी / बंदी छात्र मनीषसिंह पुत्र प्यारेलाल जाटव निवासी ग्रामग्रीखा जिला भिण्ड को दिनांक 19.02.15 को परीक्षाकेन्द्र न्युमनीषा कॉन्वेन्ट उ०मा० विद्यालय उमरी जिला भिण्ड में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा में उचित पुलिस अभिरक्षा में सम्मिलित कराये जाने और परीक्षा के उपरान्त पुनः जेल में दाखिल कराये जाने के संबंध में संबंधित जेल अधीक्षक को लिखित रूप से सूचित करते हुए पालन सुनिश्चित करावे जिसका खर्चा पुनरीक्षणकर्ता वहन करेगा।

तदनुसार पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necess